न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 83 / 20
(जीसीएमएस संख्या 2020 / 00118)

निर्णय दिनांकः 22/11/2021

1. यासीन खॉ पुत्र कासम अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 27 तहसील व जिला चूरू।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24—11—2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24—11—2001 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत [illegible] बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 32 / 22 की 25 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि स्कीम से बाहर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में यदि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि स्कमी से बाहर की भूमि थी तब भी अपीलांट आवंटन नियमों के तहत अन्य भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट को आवेदित भूमि का आवंटन किया गया ना ही अपीलांट को पात्रता के अनुसार अन्य भूमि के आवंटन आदेश प्रदान किये गये।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक [illegible]001 के विरूद्व अपील दिनांक 23–06–20 को पेश की है [illegible] से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना [illegible] में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23–06–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 32/22 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटित किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवेदित भूमि स्कीम से वाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 33/22 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जॉच के दौरान यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा स्कीम से वाहर है अर्थात विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित रकबा नहीं है। ऐसीस्थिति में जब अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वह भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

माध्यम से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 24–11–2001 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22/11/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

22/11/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर